UPAN010050602026

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर</u>

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–892/2026

मोनू उर्फ मुन्नू आयु लगभग 22 वर्ष पुत्र अंगद माली, निवासी ग्राम–चांडीपुर कला, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर

----------आवेदक/अभियुक्त

<u>बनाम</u>

उत्तर प्रदेश सरकार ----------अभियोजन पक्ष

<u>19.06.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त मोनू उर्फ मुन्नू की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र मु०अ०सं०–120/2025 अंतर्गत धारा 331(4), 305 (E) व 317(2) बी०एन०एस० थाना जहॉगीरगंज, जनपद अम्बेडकर नगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार अंगद द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.05.2025 को समय 10.00 बजे वादी मुकदमा श्रीचन्द्र वर्मा द्वारा थाना जहॉगीरगंज में इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उ0प्रा0वि0 ऊॅचेपुर, शिक्षा क्षेत्र जहॉगीरगंज, अम्बेडकर नगर में दिनांक 5/6.05.2025 की रात में चोरों द्वारा किचन तथा प्रधानाध्यापक कक्ष का दरवाजा तोड़कर दो टेबलेट, स्मार्ट टी0वी0 का रिमोट, वाई फाई डोंगल, दो बड़ा भगौना, कुछ बर्तन, राशन सामग्री, खेल का सामान चोरी कर उठा ले गए तथा मल्टीगल हैण्डवास की टोटी तोड़कर बगल के खेत में फेंक दिया। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाय। वादी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध मु०अ०सं०–120/2025 धारा 331(4) व 305 बी०एन०एस० के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया और प्रकरण में धारा 317(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गई है।

आवेदक/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे रंजिशन हैरान व परेशान करने की नीयत से झूठा फंसाया गया है। वह प्रकरण में नामजद अभियुक्त नहीं है। घटना के एक साल बाद यानी 29.05.2026 को पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और एक टेबलेट दिखाकर चलाना कर दिया। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वह

दिनांक 30.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उसने स्वयं को जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

जमानत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के समय मूल पत्रावली उपलब्ध है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रकरण में नामजद नहीं है, उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के दिनांक 06.05.2025 की रात्रि में प्रकरण के आवेदक/अभियुक्त ने अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर उ0प्रा0वि0 ऊँचेपुर, शिक्षा क्षेत्र जहाँगीरगंज, अम्बेडकर नगर में दिनांक 5/6.05.2025 की रात को किचन तथा प्रधानाध्यापक कक्ष का दरवाजा तोड़कर दो टेबलेट, स्मार्ट टी0वी0 का रिमोट, वाई फाई डोंगल, दो बड़ा भगौना, कुछ बर्तन, राशन सामग्री, खेल का सामान चोरी कर उठा ले गया तथा मल्टीगल हैण्डवास की टोटी तोड़कर बगल के खेत में फेंक दिया। संबंधित थाने की पुलिस द्वारा जब आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, तो उसके कब्जे से एक अद्द टैबलेट बरामद हुआ। कथित घटना व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जन साक्षी होना नहीं कहा गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/ अभियुक्त का प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त दो प्रकरणों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आपराधिक इतिहास किसी व्यक्ति के जमानत निरस्तीकरण का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है, जब तक कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो। आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त की भूमिका सहअभियुक्त से अलग नहीं बताई गई है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मैं यह पाता हूँ कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मोनू उर्फ मुन्नू द्वारा मु0अ0सं0–120/2025 अंतर्गत धारा 331(4), 305(E) व 317(2) बी0एन0एस0 थाना जहाँगीरगंज, जिला अम्बेडकर नगर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0–

50,000/– रुपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय।

1. आवेदक/अभियुक्त प्रकरण के विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं प्रस्तुत करेगा।
2. अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर समक्ष न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से न तो डरायेगा न ही धमकायेगा और किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किए जाने की दशा में विचारण न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(राम विलास सिंह)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकर नगर
जे०ओ० कोड नं०– UP6067

दिनांक–19.06.2026